



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE: SEPTEMBER 11, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. कर्ज के ट्रिगर्स से बढ़ी चिंता: ऑफ-बजट देनदारियों पर ऑडिट और रेटिंग चेतावनियाँ	2
2. कमोडिटीज को को-लोकेशन सुविधा से मिल सकती है बढ़त	4
3. भारत और फ्रांस ने निजी क्षेत्र के नए सौदों के साथ अंतरिक्ष संबंधों को मजबूत किया	6
4. भारत और आसियान ने कृषि एवं वानिकी का रोडमैप तैयार किया	7
5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में हम सभी का अंत कैसे कर सकती है? एआई प्रलय (Doomsday) की बहस के बारे में मुख्य बातें.....	9
6. अपने वादे को पूरा करने के लिए जीएसटी के केंद्र-राज्य समझौते का नवीनीकरण करें.....	10
7. राजनयिक गलियारों से परे: विश्व नेताओं के जीवनसाथियों के लिए यात्रा कार्यक्रम तैयार.....	12
8. केंद्र ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आवास के पास चूना पत्थर खनन को पर्यावरणीय मंजूरी स्थगित की	14
9. पीएम: हम फ्रांस और दुनिया को भारत के अगले अंतरिक्ष फ्रंटियर में सह-यात्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं 15	
10. खनन, पैसा और संघवाद: ओडिशा में राजनीतिक खींचतान के केंद्र में क्यों है नया कानून.....	17
11. 'हिंदी थोपना संवैधानिक समझौते के मूल पर प्रहार करता है': NCW कॉन्क्लेव विवाद पर केरल के मुख्यमंत्री 19	
12. नंदनकानन चिड़ियाघर बचाए गए छोटे ओरंगुटान को सांत्वना देने के लिए भारतीय राग बजा रहा है.....	20



1. कर्ज के ट्रिगर्स से बढ़ी चिंता: ऑफ-बजट देनदारियों पर ऑडिट और रेटिंग चेतावनियाँ

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **राज्य संस्थाओं के माध्यम से ऑफ-बजट ऋण:** धन की कमी का सामना कर रही राज्य सरकारें कुल देनदारियों (ऋण) को छिपाने और वार्षिक उधार सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और विशेष उद्देश्य वाहनों (SPVs) का उपयोग करके ऑफ-बजट ऋण जुटा रही हैं।
- **CAG और Crisil द्वारा ऑडिट चेतावनियाँ:** केरल और महाराष्ट्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया ऑडिट रिपोर्टों के साथ-साथ क्रिसिल रेटिंग्स (Crisil Ratings) की चेतावनियों ने रेखांकित किया है कि

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) जैसी संस्थाएं भारी ऑफ-बजट उधार लेती हैं, जिससे राज्य की वास्तविक देनदारियाँ छिप जाती हैं।

- **ऑफ-बजट जोखिम का विस्तार:** डेटा महत्वपूर्ण बकाया ऑफ-बजट दायित्वों को दर्शाता है, जिसमें केरल में ₹39,230.33 करोड़ और महाराष्ट्र में ₹28,325 करोड़ के ऑफ-बजट दायित्व दर्ज किए गए हैं।
- **निवल उधार सीमा (NBC) में केंद्र द्वारा शामिल किया जाना:** वैधानिक जनादेशों के तहत, केंद्र सरकार किसी राज्य की निवल उधार सीमा (Net Borrowing Ceiling - NBC) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% पर सीमित करती है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने राज्य के राजस्व के माध्यम से भुगतान किए जाने वाले ऑफ-बजट SPV ऋणों को NBC सीमाओं के भीतर गिनना शुरू कर दिया है।
- **छद्म वित्तीय दायित्व:** राज्य सरकारें नियमित रूप से सार्वजनिक धन का उपयोग करके ऑफ-बजट ऋण चुकाती हैं, जिससे अंतर्निहित वित्तीय गारंटी और दीर्घकालिक ऋण भुगतान के जोखिम उत्पन्न होते हैं, जबकि बजटीय वित्तीय अनुशासन का एक भ्रम पैदा होता है।
- **कानूनी तनाव और विचाराधीन स्थिति:** केंद्र सरकार द्वारा नियमित उधार सीमाओं में से राज्य SPV की उधारी घटाने के फैसले से कानूनी विवाद पैदा हुए हैं, जिसमें केरल द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर याचिका सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **ऑफ-बजट उधार (OBB):** राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विशेष उद्देश्य वाहनों (SPVs) द्वारा लिए गए वे ऋण, जिनके मूलधन और ब्याज का भुगतान संस्था के अपने राजस्व के बजाय सीधे राज्य के बजट से किया जाता है।
- **निवल उधार सीमा (NBC):** संवैधानिक प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय की गई वैधानिक सीमा, जो राज्य सरकारों के वार्षिक निवल उधार को प्रतिबंधित करती है। इसे आमतौर पर GSDP के 3% पर बेंचमार्क किया जाता है।
- **विशेष उद्देश्य वाहन (SPV):** सरकार या कॉर्पोरेट निकाय द्वारा संकीर्ण और विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई एक कानूनी संस्था, जिसका उपयोग अक्सर बुनियादी ढांचे की बड़ी पूंजी-गहन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293(3) और (4):** यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का कोई बकाया ऋण या गारंटी है, तो केंद्र सरकार को उस राज्य द्वारा लिए जाने वाले नए ऋणों पर शर्तें लगाने का अधिकार देता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151:** राज्यों के खातों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधानमंडलों के पटल पर रखने के लिए राज्य के राज्यपालों को सौंपने का अनिवार्य प्रावधान करता है।
- **राज्य FRBM अधिनियम:** राज्य स्तर के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management) कानून, जो GSDP के अनुपात में राजस्व घाटे में कमी और राजकोषीय घाटे को सीमित करने के वैधानिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

निष्कर्ष

SPVs और राज्य उपक्रमों के माध्यम से संवैधानिक उधार सीमाओं को दरकिनार करना वित्तीय पारदर्शिता से समझौता करता है और वास्तविक ऋण-से-GSDP अनुपात को विकृत करता है। ऑफ-बजट देनदारियों के लिए सख्त लेखांकन मानकों को लागू करना, राज्य के उधार नियमों को सुसंगत बनाना और CAG की सिफारिशों का पालन करना भारतीय राज्यों में दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (GS Paper XIV):** संघीय वित्त से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 293), संवैधानिक निकायों की भूमिका (CAG)।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (राजकोषीय संघवाद, ऑफ-बजट देनदारियाँ, FRBM जनादेश, राजकोषीय घाटा प्रबंधन, राज्य ऋण स्थिरता)।
- **मुख्य फोकस:** अनुच्छेद 293 की सीमाएं, ऑफ-बजट उधारी का प्रभाव, निवल उधार सीमा (NBC) का प्रवर्तन।

2. कमोडिटीज को को-लोकेशन सुविधा से मिल सकती है बढ़त

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **कमोडिटी बाजारों में को-लोकेशन की मंजूरी:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में को-लोकेशन सुविधाओं की अनुमति देने के लिए चर्चा के अंतिम चरणों में है, जिसका लक्ष्य 2027 की पहली छमाही में संभावित शुरुआत करना है।
- **अल्ट्रा-लो लेटेंसी के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना:** इस तंत्र के तहत, बाजार सहभागियों को एक्सचेंज डेटा केंद्रों या निर्दिष्ट सेवा प्रदाता सुविधाओं के भीतर सीधे अपने स्वामित्व वाले सर्वर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की अनुमति होगी।
- **निष्पादन गति में सुधार:** ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सचेंज मैचिंग इंजन के करीब रखने से नेटवर्क लेटेंसी (समय की देरी) घटकर मिलीसेकंड रह जाती है, जिससे जटिल, उच्च-आवृत्ति (high-frequency) और एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों के निष्पादन में सुविधा होती है।
- **संस्थागत और विदेशी भागीदारी को आकर्षित करना:** को-लोकेशन सुविधाओं की उपलब्धता विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) और संस्थागत ट्रेडिंग डेस्क की उस प्रमुख मांग को पूरा करती है, जो भारतीय कमोडिटी बाजारों में अधिक गति, परिचालन समानता और पूंजी दक्षता चाहते हैं।
- **नियामक सलाहकार निकायों के माध्यम से विचार-विमर्श:** निष्पक्ष पहुंच और परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए SEBI की कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी (CDAC) के भीतर नीति डिजाइन और संरचनात्मक सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- **बाजार की तरलता को गहरा करना:** इस कदम का उद्देश्य संस्थागत तरलता को बढ़ाना, कृषि और गैर-कृषि कमोडिटीज में मूल्य खोज में सुधार करना और घरेलू ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **को-लोकेशन सुविधा:** वित्तीय एक्सचेंजों द्वारा दी जाने वाली एक समर्पित होस्टिंग सेवा, जहाँ ट्रेडिंग सदस्य मैचिंग इंजन से निकटता प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज के डेटा सेंटर के अंदर सर्वर स्पेस किराए पर लेते हैं, जिससे ट्रेड निष्पादन में लगने वाला समय (लेटेंसी) न्यूनतम हो जाता है।
- **कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी (CDAC):** भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स को नियंत्रित करने वाले बाजार ढांचे, उत्पाद नवाचार, जोखिम प्रबंधन और नियामक ढांचे पर सलाह देने के लिए SEBI द्वारा गठित एक विशिष्ट सलाहकार निकाय।
- **लेटेंसी (Latency):** व्यापारी के कंप्यूटर सिस्टम से ऑर्डर का निर्देश भेजे जाने और एक्सचेंज के सर्वर द्वारा उसकी प्राप्ति/मिलान के बीच माइक्रोसेकंड या मिलीसेकंड में होने वाली समय की देरी।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम (SCRA), 1956:** भारत में स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंजों, अनुबंध की वैधता और बाजार अवसंरचना संस्थानों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधायी ढांचा प्रदान करता है।
- **SEBI अधिनियम, 1992:** धारा 11 के तहत नियामक को निवेशकों के हितों की रक्षा करने, प्रतिभूति/कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों को विनियमित करने और मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के लिए तकनीकी तथा परिचालन दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- **SEBI (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) विनियम, 2018:** को-लोकेशन सेवाएं प्रदान करने वाले एक्सचेंजों के लिए शासन के मानकों, निष्पक्ष बाजार पहुंच, ऑडिट प्रोटोकॉल और तकनीकी अवसंरचना के लचीलेपन को अनिवार्य बनाता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301:** पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो कुशल राष्ट्रीय बाजार एकीकरण के लिए संवैधानिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

निष्कर्ष

कमोडिटी एक्सचेंजों तक को-लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संरचनात्मक अपग्रेड का प्रतीक है। लेटेंसी को कम करके और परिष्कृत एल्गोरिथम भागीदारी को सक्षम बनाकर, SEBI की यह पहल बाजार की गहराई और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत एकीकरण को बढ़ाने का वादा करती है, बशर्ते कि समान पहुंच और सख्त व्यवस्थित जोखिम नियंत्रण लगातार बनाए रखे जाएं।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (पूंजी और कमोडिटी बाजार, वित्तीय क्षेत्र के सुधार, बाजार अवसंरचना संस्थान, SEBI ढांचा)।
- **GS पेपर II:** वैधानिक और नियामक निकाय (SEBI और सलाहकार समितियों की भूमिका और कार्य)।
- **मुख्य फोकस:** को-लोकेशन सेवाएं, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का आधुनिकीकरण, FPI भागीदारी।

3. भारत और फ्रांस ने निजी क्षेत्र के नए सौदों के साथ अंतरिक्ष संबंधों को मजबूत किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **त्रिपक्षीय वाणिज्यिक समझौते:** भारत और फ्रांस ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान तीन प्रमुख निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रोसैटेलाइट प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- **सफरान स्पेस और ध्रुव स्पेस डील:** फ्रांस की सफरान स्पेस ने ऑप्टिकल पेलोड, इनरशियल नेविगेशन यूनिट्स, संचार प्रणाली और ग्राउंड स्टेशनों की आपूर्ति के लिए भारतीय स्पेस-टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस के साथ €5 मिलियन (50 लाख यूरो) से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
- **SBS-III तारामंडल के लिए समर्थन:** सफरान-ध्रुव गठबंधन सीधे तौर पर भारत के नियोजित स्पेस-बेस्ड सर्विलांस-III (SBS-III) तारामंडल का समर्थन करेगा, जिसका लक्ष्य रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2027 और 2030 के बीच 52 निगरानी उपग्रहों को तैनात करना है।
- **ऑर्बिटल डेटा सेंटर लॉन्च पैकट:** फ्रांसीसी लॉन्च सेवा प्रदाता RIDE! ने भारतीय स्टार्टअप TakeMeToSpace के लिए दो उपग्रहों को लॉन्च करने पर सहमति व्यक्त की, जो अंतरिक्ष-आधारित ऑर्बिटल डेटा सेंटर तकनीक को सुगम बनाएगा।
- **माइक्रोसैटेलाइट निर्माण गठबंधन:** फ्रांसीसी अंतरिक्ष संस्था U-Space ने 'मेक इन इंडिया' रोडमैप के तहत घरेलू माइक्रोसैटेलाइट बाजार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारतीय रक्षा फर्म AXISCADES के साथ साझेदारी की।
- **वाणिज्यिक 'न्यूस्पेस' की ओर बदलाव:** ये समझौते इसरो (ISRO) और फ्रांस के CNES के बीच पारंपरिक सरकार-से-सरकार (G2G) अंतरिक्ष संबंधों से B2B वाणिज्यिक एकीकरण की ओर एक रणनीतिक विस्तार का प्रतीक हैं, जो संप्रभु रक्षा क्षमताओं और निजी क्षेत्र के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को गति प्रदान करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **स्पेस-बेस्ड सर्विलांस (SBS):** कक्षीय गतिविधियों, अंतरिक्ष मलबे, समुद्री क्षेत्र की गतिविधियों और स्थलीय सतह की सुरक्षा की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपग्रह तारामंडल (Constellation) नेटवर्क।
- **न्यूस्पेस (NewSpace):** उभरता हुआ वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, जो निजी एयरोस्पेस उद्यमों, उद्यम पूंजी निवेश और चुस्त माइक्रो/नैनो-उपग्रह निर्माण द्वारा चिह्नित है।
- **ऑर्बिटल डेटा सेंटर (Orbital Data Center):** एज-कंप्यूटिंग हार्डवेयर से लैस एक उपग्रह नेटवर्क जो पृथ्वी पर संसाधित डेटा भेजने से पहले सीधे अंतरिक्ष में डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने में सक्षम है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** वैधानिक ढांचा जो गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को उपग्रह विकास, संचालन और पेलोड एकीकरण सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में पूरी तरह से संलग्न होने का अधिकार देता है।
- **IN-SPACe जनादेश:** अंतरिक्ष विभाग के तहत एकल-खिड़की स्वायत्त एजेंसी जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी वाणिज्यिक साझेदारियों को विनियमित, अधिकृत और सुगम बनाती है।

- **अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नीति (2024 संशोधन):** उदारकृत FDI मानदंड जो उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान और घटकों के उत्पादन में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (स्वचालित और सरकारी मार्गों के माध्यम से) की अनुमति देते हैं।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति सम्मान बढ़ाने और सम्मानजनक सीमा पार तकनीकी साझेदारियों को बनाए रखने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

पेरिस शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौते भारत-फ्रांस रणनीतिक संबंधों में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाते हैं, जो संप्रभु अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं में निजी उद्यमों को शामिल करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ फ्रांसीसी तकनीक को एकीकृत करने से रणनीतिक स्थितिजन्य जागरूकता मजबूत होने के साथ-साथ घरेलू 'न्यूस्पेस' नवाचार को भी गति मिलती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय संबंध और समझौते (भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता, प्रौद्योगिकी साझेदारी)।
- **GS पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (प्रद्योगिकी का स्वदेशीकरण, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, IN-SPACe, अंतरिक्ष का व्यवसायीकरण, SBS-III तारामंडल)।
- **मुख्य फोकस:** न्यूस्पेस इकोसिस्टम, रक्षा अंतरिक्ष क्षमताएं, निजी अंतरिक्ष FDI ढांचा।

4. भारत और आसियान ने कृषि एवं वानिकी का रोडमैप तैयार किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **5-वर्षीय कार्य योजना को अपनाया गया:** भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) ने नई दिल्ली में 9वीं मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान 'कृषि और वानिकी में सहयोग के लिए आसियान-भारत मध्यम-अवधि कार्य योजना (2026-2030)' शुरू की।
- **सह-अध्यक्षता में नेतृत्व:** इस बैठक की सह-अध्यक्षता 9 सितंबर 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिलीपींस के कृषि सचिव फ्रांसिस्को पी. टीयू लॉरेल ने की।
- **जलवायु-अनुकूल कृषि पर ध्यान:** मीथेन उत्सर्जन को कम करने और क्षेत्रीय जलवायु जोखिमों का मुकाबला करने के लिए कम-उत्सर्जन वाले चावल की खेती की तकनीकों पर जोर देते हुए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को प्राथमिकता दी गई है।
- **डिजिटल परिवर्तन और AI का एकीकरण:** यह रोडमैप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर, प्रिसिजन फार्मिंग (सटीक खेती) और डिजिटल विस्तार सेवाओं सहित तकनीक-संचालित समाधानों को बढ़ावा देता है।

- **लचीली कृषि-आपूर्ति श्रृंखलाएं:** दोनों पक्ष बीज और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण आदानों के निर्बाध व्यापार प्रवाह को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कटाई के बाद के रसद (post-harvest logistics), मूल्य-वर्धन और खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर सहमत हुए।
- **सतत वानिकी प्रबंधन:** संयुक्त प्रयासों का लक्ष्य वन पुनरुद्धार, कृषि वानिकी, बायोइकोनॉमी समाधान और परिदृश्य संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खुली फसल के अवशेषों (पराली) को जलाने में कमी लाना होगा।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA):** परिदृश्यों—कृषि भूमि, पशुधन, वन और मत्स्य पालन—के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण जो खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है।
- **कम-उत्सर्जन चावल की खेती:** खेती की ऐसी पद्धतियाँ, जैसे कि वैकल्पिक गीलापन और सुखाना (Alternate Wetting and Drying - AWD), जो उपज से समझौता किए बिना जलमग्न धान के खेतों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- **आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी:** क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2022 में भारत और आसियान के बीच स्थापित उच्च स्तरीय कूटनीतिक संरेखण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है।
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy):** भारत की विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ सक्रिय आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG 2 और 13):** शून्य भुखमरी, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई से संबंधित वैश्विक लक्ष्य।

निष्कर्ष

2026-2030 का भारत-आसियान कृषि और वानिकी रोडमैप क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को सुदृढ़ करता है। डिजिटल नवाचार, कम-उत्सर्जन वाली कृषि पद्धतियों और साझा अनुसंधान का लाभ उठाकर, यह साझेदारी हिंद-प्रशांत कृषि-खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलेपन को मजबूत करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत-आसियान संबंध, व्यापक रणनीतिक साझेदारी)।
- **GS पेपर III:** मुख्य फसलें और फसल पैटर्न, प्रौद्योगिकी मिशन, पर्यावरण संरक्षण और सतत वानिकी।
- **मुख्य फोकस:** जलवायु-अनुकूल खेती, डिजिटल कृषि, कम-उत्सर्जन चावल उत्पादन, क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा।

5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में हम सभी का अंत कैसे कर सकती है? एआई प्रलय (Doomsday) की बहस के बारे में मुख्य बातें

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **इस्तीफे और आंतरिक चेतावनियाँ:** एंथ्रोपिक (Anthropic) के शोधकर्ता जैकब कॉक्सन सहित प्रमुख प्रयोगशालाओं से हाई-प्रोफाइल इस्तीफों ने सुरक्षा पर सार्वजनिक चिंता बढ़ा दी है। आंतरिक सूत्रों ने डर व्यक्त किया है कि अनियंत्रित फ्रंटियर मॉडल दशक के अंत तक अस्तित्व के लिए खतरा (existential risk) पैदा कर सकते हैं।
- **अस्तित्व संबंधी जोखिम के तंत्र:** विशेषज्ञ संभावित तबाही को दो मुख्य चैनलों में विभाजित करते हैं: नियंत्रण खोने के परिदृश्य (loss-of-control scenarios), जहां गलत तरीके से संरेखित (misaligned), स्व-सुधार करने वाली सुपरइंटेलिजेंस गैर-मानवीय लक्ष्यों का पीछा करती है; और जैविक हथियारों या स्वायत्त साइबर संचालन से जुड़ा मानव द्वारा दुरुपयोग।
- **पुनरावर्ती स्व-सुधार (Recursive Self-Improvement) के खतरे:** स्वायत्त पुनरावर्ती तर्क ("विचार की श्रृंखला" / chain of thought) से गुजरने वाले उन्नत मॉडलों के "इंटेलिजेंस विस्फोट" में तब्दील होने का जोखिम है, जिससे आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया मानव निगरानी के लिए अस्पष्ट हो जाती है।
- **गवर्नेंस के लिए विधायी हस्तक्षेप:** द्विदलीय अमेरिकी कानून निर्माताओं ने आपातकालीन रोकथाम क्षमताओं को अनिवार्य करने के लिए "एआई किल स्विच एक्ट" पेश किया, जिसके तहत डेवलपर्स को शक्तिशाली मॉडलों के लिए तकनीकी शटडाउन तंत्र बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- **व्हाइट हाउस की रिलीज-पूर्व परीक्षण पहल:** नियामक प्रस्ताव राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम मूल्यांकनों के लिए जारी (रिलीज) करने से 30 दिन पहले तक सरकारी अधिकारियों के समक्ष मॉडल प्रस्तुत करने की मांग करते हैं।
- **विनियमन पर उद्योग में मतभेद:** जहां फ्रंटियर डेवलपर्स दुष्ट (rogue) तैनाती को रोकने के लिए बेसलाइन निगरानी का समर्थन करते हैं, वहीं प्रमुख निवेशकों का तर्क है कि भारी विनियमन तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को दबाता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **अस्तित्व संबंधी जोखिम (Existential Risk - X-Risk):** इस बात की संभावना कि एक अनियंत्रित या अनुचित रूप से संरेखित कृत्रिम सुपरइंटेलिजेंस (artificial superintelligence) मानव सभ्यता को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है या मानव विलुप्ति का कारण बन सकती है।
- **पुनरावर्ती स्व-सुधार (Recursive Self-Improvement):** एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक एआई प्रणाली स्वायत्त रूप से अपने स्वयं के कोड और आर्किटेक्चर को अनुकूलित (optimize) करती है, जो मानवीय नियंत्रण क्षमताओं से परे एक बुद्धिमत्ता विस्फोट (intelligence explosion) को ट्रिगर करती है।
- **किल स्विच तंत्र (Kill Switch Mechanism):** एक अनिवार्य तकनीकी डिज़ाइन सुविधा जो ऑपरेटरों या नियामकों को गंभीर सुरक्षा घटनाओं के दौरान स्वायत्त एआई मॉडल को सीमित करने, निलंबित करने या पूरी तरह से निष्क्रिय करने में सक्षम बनाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (भारत):** डिजिटल मध्यस्थ जवाबदेही, साइबर सुरक्षा मानकों और खतरनाक डिजिटल सॉफ्टवेयर को रोकने या अक्षम करने की राज्य शक्ति के लिए कानूनी आधार स्थापित करता है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति (नीति आयोग):** भारत का नीतिगत ढांचा जो नैतिक दिशानिर्देशों, एल्गोरिदमिक सुरक्षा और जिम्मेदार एआई तैनाती को प्राथमिकता देते हुए "#AIforAll" की वकालत करता है।
- **प्रस्तावित यूएस एआई किल स्विच एक्ट:** मसौदा विधायी ढांचा जो उच्च जोखिम वाले फ्रंटियर मॉडलों के लिए अनिवार्य घटना रिपोर्टिंग, अनिवार्य किल-स्विच क्षमताएं और आपातकालीन शटडाउन शक्तियों को स्थापित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 और 51A(h):** जीवन और सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार एवं जिज्ञासा की भावना का विकास करने का मौलिक कर्तव्य लागू करता है।

निष्कर्ष

एआई प्रलय के परिदृश्य के जोखिमों पर बहस त्वरित तकनीकी नवाचार को अस्तित्व संबंधी जोखिम शासन के साथ संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल, तकनीकी किल स्विच और वैश्विक निगरानी ढांचे को लागू करना यह सुनिश्चित करता है कि सुपरइंटेलिजेंट मॉडल मानवीय एजेंसी और सार्वजनिक सुरक्षा के साथ संरेखित रहें।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन, साइबर सुरक्षा, फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों में नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम)।
- **GS पेपर II:** सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों की नीतिगत निगरानी।
- **मुख्य फोकस:** एल्गोरिदमिक मिसअलाइनमेंट (गलत संरेखण), फ्रंटियर मॉडल विनियम, X-जोखिम ढांचा, एआई किल स्विच विधान।

6. अपने वादे को पूरा करने के लिए जीएसटी के केंद्र-राज्य समझौते का नवीनीकरण करें

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **मुआवजा युग का अंत:** महामारी के दौर के घाटे के दौरान केंद्र द्वारा लिए गए ₹2.69 ट्रिलियन के ऋण को चुकाने के लिए मार्च 2026 तक बढ़ाए गए जीएसटी मुआवजा उपकर (compensation cess) की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई, जिससे वैधानिक कमी की गारंटी के बिना राज्य पूरी तरह से राजस्व में उतार-चढ़ाव के जोखिम के संपर्क में आ गए हैं।

- **जीएसटी 2.0 के बाद राजकोषीय विषमता:** जीएसटी 2.0 दर पुनर्गठन द्वारा दर स्लैब और कर आधारों को कम करने के साथ, राज्यों ने प्रमुख कर एजेंसियों (वैट, चुंगी, प्रवेश कर) को आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि केंद्र जीएसटी परिषद में एक प्रभावी वीटो (एक-तिहाई मतदान भार) बरकरार रखता है।
- **उपकर (Cesses) के माध्यम से विभाज्य पूल का सिकुड़ना:** राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय विभाज्य पूल को उपकरों और अधिभारों (surcharges) द्वारा सीमित किया जा रहा है, जिससे 2025-26 में केंद्र के कुल कर राजस्व का केवल लगभग 81% ही राज्यों के साथ साझा करने योग्य बचा है।
- **प्रस्तावित राजस्व-न्यूनतम तंत्र (Revenue-Floor Mechanism):** लेखक एक सूत्र-आधारित स्थिरीकरण कोष की वकालत करते हैं जो तब ट्रिगर होता है जब किसी राज्य का जीएसटी संग्रह पूर्व-निर्धारित सीमा से नीचे गिर जाता है, जिससे बिना किसी अनिश्चित प्रतिबद्धता के संरचनात्मक राजकोषीय बीमा प्राप्त होता है।
- **गैर-साझा करने योग्य करों पर सीमा (Capping):** 16वें वित्त आयोग ने राज्य हस्तांतरण (devolution) को 41% पर बरकरार रखा लेकिन उपकरों को सीमित नहीं किया; राज्यों के राजस्व हिस्से की रक्षा के लिए गैर-साझा योग्य उपकरों पर विधायी वैधानिक सीमा लगाने का आग्रह किया गया है।
- **उधार स्वायत्तता पर पुनर्विचार:** राजकोषीय उत्तरदायित्व लक्ष्यों का पालन करने वाले राज्यों को अनुच्छेद 293 के तहत वार्षिक विवेकाधीन स्वीकृतियों पर निर्भर रहने के बजाय जोखिम-समायोजित स्प्रेड (risk-adjusted spreads) के आधार पर बाजार उधार स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **जीएसटी मुआवजा उपकर:** वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत अहितकर और विलासिता की वस्तुओं पर लगाया गया एक अस्थायी कर, ताकि जीएसटी लागू होने के बाद पांच वर्षों के लिए राज्यों को 14% वार्षिक चक्रवृद्धि राजस्व वृद्धि की गारंटी दी जा सके।
- **करों का विभाज्य पूल (Divisible Pool of Taxes):** केंद्रीय कर संग्रह का वह हिस्सा जिसे अनुच्छेद 270 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के साथ साझा करना अनिवार्य है।
- **राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism):** राजस्व स्वायत्तता और एकीकृत राष्ट्रीय विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार के केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों के बीच सरकारी कार्यों और वित्तीय शक्तियों का विभाजन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270:** अनुच्छेद 271 के तहत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए उपकरों और अधिभारों को छोड़कर, केंद्र और राज्यों के बीच संघ के करों के वितरण को नियंत्रित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A:** जीएसटी परिषद की स्थापना करता है, इसकी निर्णय लेने की संरचना को परिभाषित करता है जहां केंद्र सरकार के पास डाले गए कुल वोटों का एक-तिहाई हिस्सा होता है और राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो-तिहाई हिस्सा होता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293:** यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का बकाया ऋण या गारंटी है, तो केंद्र को राज्य के नए उधार पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान करता है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017:** जीएसटी संक्रमण के बाद राज्य के राजस्व घाटे के मुआवजे के लिए कानूनी आधार प्रदान करने वाला वैधानिक अधिनियम।

जीएसटी सुधार के अगले चरण में संक्रमण के लिए केंद्र-राज्य के महान राजकोषीय समझौते का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। राजस्व स्थिरीकरण कोष को लागू करना, गैर-साझा योग्य उपकरणों को सीमित करना और राजकोषीय रूप से अनुशासित राज्यों को उधार लेने की स्वायत्तता देना सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा और 'एक राष्ट्र, एक कर' ढांचे की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करेगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, केंद्र-राज्य संबंध।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (वस्तु एवं सेवा कर सुधार, राजकोषीय संघवाद, जीएसटी मुआवजा उपकरण समाप्ति, 16वां वित्त आयोग हस्तांतरण)।
- **मुख्य फोकस:** अनुच्छेद 270 और 279A की गतिशीलता, गैर-विभाज्य पूल उपकरण, राजस्व-न्यूनतम स्थिरीकरण मॉडल।

7. राजनयिक गलियारों से परे: विश्व नेताओं के जीवनसाथियों के लिए यात्रा कार्यक्रम तैयार

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जीवनसाथियों का जुड़ाव:** नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के जीवनसाथियों के लिए एक विशेष सांस्कृतिक और विरासत यात्रा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
- **हस्तशिल्प और कला का प्रदर्शन:** अनंतिम कार्यक्रम में भारत मंडपम में क्राफ्ट्स बाज़ार की यात्रा शामिल है, जो आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को भारत की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों और हथकरघा का एक क्यूरेटेड प्रदर्शन प्रदान करती है।
- **सांस्कृतिक और विरासत स्थलों का भ्रमण:** नियोजित गतिविधियों में राजघाट, लाल किला, जामा मस्जिद, नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का भ्रमण शामिल है।
- **सार्वजनिक स्थानों को बढ़ावा देना:** प्रस्तावित दौरे में स्थानीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए खान मार्केट, चांदनी चौक और जनपथ सहित प्रमुख वाणिज्यिक और पारंपरिक बाजारों का भ्रमण शामिल है।
- **लचीली सुरक्षा और रसद एकीकरण:** समय की कमी, प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रमों और दिल्ली पुलिस के वीवीआईपी आवागमन प्रोटोकॉल के साथ एकीकरण के अधीन, यात्रा कार्यक्रम का निष्पादन लचीला बना हुआ है।
- **गुप्त वीवीआईपी सुरक्षा तैनाती:** सुरक्षा एजेंसियां सार्वजनिक गतिविधियों को बाधित किए बिना सुरक्षा बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सादे कपड़ों में कर्मियों, सादे कपड़ों में बाजार एकीकरण और विस्तारित सीसीटीवी निगरानी ग्रिड का उपयोग कर रही हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy):** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी समझ को बढ़ावा देने और सॉफ्ट पावर के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विरासत प्रदर्शनों, पारंपरिक कला प्रस्तुतियों और अनौपचारिक बातचीत की तैनाती।
- **वीवीआईपी सुरक्षा गिड:** उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के दौरान दृश्यमान पुलिसिंग, गुप्त सादे कपड़ों में निगरानी, वास्तविक समय इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (सीसीटीवी) और सिंक्रनाइज़ यातायात प्रबंधन से युक्त एक एकीकृत बहु-स्तरीय सुरक्षा तंत्र।
- **सॉफ्ट पावर (Soft Power):** जबरदस्ती या सैन्य बल के बजाय अपनी संस्कृति, इतिहास, मूल्यों और विदेश नीतियों से प्राप्त आकर्षण और अनुनय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिणामों को प्रभावित करने और कूटनीतिक सद्भावना बनाने की किसी राष्ट्र की क्षमता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने का निर्देश देता है।
- **दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978:** दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने, यातायात नियंत्रण लागू करने, निगरानी गिड तैनात करने और वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- **राजनयिक संबंध अधिनियम, 1972:** राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (1961) के प्रावधानों को भारतीय कानून में लागू करता है, जो आने वाले आधिकारिक विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को राजनयिक विशेषाधिकार, छूट और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- **स्मार्टकों और कलाकृतियों के संरक्षण का ढांचा:** प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958 के तहत कवर किया गया है, जो लाल किले जैसे राष्ट्रीय विरासत स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

विश्व नेताओं के जीवनसाथियों के लिए समर्पित सांस्कृतिक और विरासत यात्रा कार्यक्रम तैयार करना प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों के दौरान सॉफ्ट पावर कूटनीति के एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करता है। मजबूत वीवीआईपी सुरक्षा ढांचे के साथ खुले सार्वजनिक जुड़ाव को संतुलित करना भारत की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करने की परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सॉफ्ट पावर कूटनीति, विदेश नीति में सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका)।
- **GS पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा (वीवीआईपी सुरक्षा प्रबंधन, शहरी सुरक्षा गिड, उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों के दौरान निगरानी ढांचा)।
- **मुख्य फोकस:** सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां, वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल, पर्यटन और विरासत संवर्धन।

8. केंद्र ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आवास के पास चूना पत्थर खनन को पर्यावरणीय मंजूरी स्थगित की

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **पर्यावरणीय मंजूरी रोक दी गई:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की विशेषज्ञ समिति ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ में डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 256 हेक्टेयर के चूना पत्थर खदान के लिए पर्यावरणीय मंजूरी स्थगित कर दी।
- **गंभीर रूप से लुप्तप्राय आवास से निकटता:** प्रस्तावित खनन स्थल और निकटवर्ती सीमेंट संयंत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्र में स्थित हैं, जो एक ऐसी प्रजाति है जिसकी जंगली आबादी घटकर लगभग 130 रह गई है।
- **उत्पादन योजना में बेमेल:** विशेषज्ञ समिति ने नोट किया कि कंपनी का 5.4 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) निष्कर्षण का प्रस्ताव भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्वीकृत 2.99 MTPA की योजना के अनुरूप नहीं था, और शर्तों में पूर्ण संशोधन का निर्देश दिया।
- **नियंत्रित ब्लास्टिंग प्रभाव पर चिंताएं:** समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित कार्य योजना अनिवार्य की कि ब्लास्टिंग संचालन क्षेत्र से गुजरने वाली क्षेत्रीय तेल, प्राकृतिक गैस और जल आपूर्ति पाइपलाइनों की सुरक्षा से समझौता न करें।
- **अनिवार्य WII प्रोटोकॉल अनुपालन:** परियोजना प्रस्तावक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पारिस्थितिक प्रभावों पर भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों को सख्ती से शामिल करने और लागू करने का निर्देश दिया गया था।
- **परिवहन और औद्योगिक आपूर्ति लिंक:** उत्खनन किए गए चूना पत्थर को निकटवर्ती कैप्टिव सीमेंट उत्पादन और स्टील मेल्टिंग शॉप की आपूर्ति के लिए नामित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-68 से सानूरेलवे स्टेशन तक भारी ट्रक परिवहन शामिल है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **संदर्भ शर्तें (Terms of Reference - ToR):** MoEFCC द्वारा जारी एक आधारभूत प्रारंभिक मंजूरी का दायरा, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) आयोजित करने के लिए पैरामीटर आवश्यकताओं और अध्ययन दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करता है।
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps):** भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख स्थलीय घास का मैदान पक्षी प्रजाति, जो वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट में 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' (Critically Endangered) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध है।
- **प्राथमिकता संरक्षण क्षेत्र (Priority Conservation Area):** कोर वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास का एक पारिस्थितिक रूप से नाजुक बफर जोन, जिसे निवास स्थान के विखंडन से संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए सख्त निगरानी के लिए पहचाना गया है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और EIA अधिसूचना 2006:** विस्तृत सार्वजनिक परामर्श और तकनीकी विशेषज्ञ समिति के मूल्यांकन के बाद खनन परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य करता है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** GIB जैसी अनुसूची I की प्रजातियों को वैधानिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जो महत्वपूर्ण आवासों में आवास विनाश, अवैध भूमि परिवर्तन और अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य पर पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करने का एक नीति निर्देशक तत्व लागू करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक के लिए वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है।

निष्कर्ष

पर्यावरणीय मंजूरी को स्थगित करने का मंत्रालय का निर्णय अव्यावहारिक औद्योगिक विस्तार पर पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता देने की महत्वपूर्ण अनिवार्यता को रेखांकित करता है। EIA दिशानिर्देशों का कड़ाई से प्रवर्तन, WII के निष्कर्षों का पालन और महत्वपूर्ण घास के मैदान पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी (जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, पर्यावरणीय शासन)।
- **GS पेपर II:** वैधानिक निकाय और सरकारी नीतियां (MoEFCC ढांचा, वन्यजीव संरक्षण प्रोटोकॉल)।
- **मुख्य फोकस:** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आवास संरक्षण, EIA समीक्षा प्रक्रिया, WII दिशानिर्देश, खनन बनाम पारिस्थितिक स्थिरता।

9. पीएम: हम फ्रांस और दुनिया को भारत के अगले अंतरिक्ष फ्रंटियर में सह-यात्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **पेरिस अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में वैश्विक निमंत्रण:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को भारत के विस्तार लेते अंतरिक्ष रोडमैप में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया।

- फ्रांस के साथ ऐतिहासिक संबंध:** प्रधानमंत्री ने 1960 के दशक में थुंबा से भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत से ही फ्रांस की एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि अब यह सहयोग पृथ्वी अवलोकन और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक फैला हुआ है।
- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा मिशन का रोडमैप:** संबोधन में 2035 तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, "भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन" स्थापित करने और 2030 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने के भारत के लक्ष्य को दोहराया गया।
- वाणिज्यिक प्रक्षेपणों में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड:** इसरो (ISRO) के किफायती बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अब तक 34 देशों के 430 पेलोड को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है।
- दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्थिरता का आह्वान:** पृथ्वी की निचली कक्षाओं (Low-Earth Orbits) में बढ़ती भीड़ के साथ, भारत ने अल्पकालिक वाणिज्यिक लाभों के स्थान पर पारदर्शी अनुसंधान, खुले डेटा-साझाकरण और दीर्घकालिक कक्षीय स्थिरता (Orbital Sustainability) की वकालत की।
- 'वसुधैव कुटुंबकम' का आह्वान:** भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण भावना "दुनिया एक परिवार है" के दर्शन से निर्देशित होती रहती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि वैज्ञानिक डेटा खुलेपन और अखंडता के साथ वैश्विक जनहित की सेवा करे।

आवश्यक परिभाषाएँ

- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS):** लंबी अवधि के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (microgravity) प्रयोगों और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण अध्ययनों को सक्षम करने के लिए 2035 तक परिचालन तत्परता के लिए लक्षित भारत का नियोजित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन।
- अंतरिक्ष स्थिरता (Space Sustainability):** अंतरिक्ष मलबे को कम करके और कक्षीय यातायात का प्रबंधन करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए बाह्य अंतरिक्ष पर्यावरण को संरक्षित करने के तरीके से अंतरिक्ष गतिविधियों का संचालन करने का अभ्यास।
- बाह्य अंतरिक्ष में वसुधैव कुटुंबकम:** अंतरिक्ष को मानव जाति की एक साझी विरासत के रूप में मानने वाली एक दार्शनिक नीतिगत दिशा, जो समावेशी तकनीकी विकास, खुले विज्ञान और वैश्विक साझेदारी को प्राथमिकता देती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967):** भारत द्वारा अनुसमर्थित (ratified) मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा जो यह स्थापित करता है कि बाह्य अंतरिक्ष सभी राज्यों द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अन्वेषण और उपयोग के लिए स्वतंत्र होगा।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** अंतरिक्ष प्रशासन को सुव्यवस्थित करने, इसरो को उन्नत अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम बनाने और NSIL के माध्यम से वाणिज्यिक प्रक्षेपण संचालन को बढ़ावा देने वाला व्यापक राष्ट्रीय ढांचा।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** शांतिपूर्ण सीमा पार वैज्ञानिक पहलों को आयोजित करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का राज्य को निर्देश देता है।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार एवं जिज्ञासा की भावना का विकास करने का मौलिक कर्तव्य लागू करता है।

निष्कर्ष

पेरिस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भारत को समावेशी, शांतिपूर्ण और सतत बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण के ध्वजवाहक के रूप में स्थापित करता है। इसरो की लागत प्रभावी क्षमताओं का लाभ उठाकर और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे ऐतिहासिक लक्ष्यों की ओर बढ़कर, भारत वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इसरो की क्षमताएं, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, दीर्घकालिक कक्षीय स्थिरता)।
- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष साझेदारी, अंतरिक्ष कूटनीति)।
- **मुख्य फोकस:** भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लक्ष्य, बाह्य अंतरिक्ष शासन, अंतरिक्ष स्थिरता, वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण ट्रैक रिकॉर्ड।

10. खनन, पैसा और संघवाद: ओडिशा में राजनीतिक खींचतान के केंद्र में क्यों है नया

कानून

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 का अधिनियमन:** अगस्त 2026 में, संसद ने MMDR संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने प्रमुख खनिजों के लिए एक समान राष्ट्रीय कर ढांचा स्थापित किया और खनिज युक्त भूमियों पर कर लगाने की राज्य सरकारों की शक्ति को सीमित कर दिया।
- **सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को रद्द करना:** 2026 का संशोधन सीधे तौर पर जुलाई 2024 के संविधान पीठ के एक ऐतिहासिक फैसले (8-1 बहुमत) को रद्द करता है जिसने खनिज निष्कर्षण और खनिज युक्त भूमियों पर रॉयल्टी/कर लगाने के राज्यों के अधिकारों की पुष्टि की थी।
- **धारा 9D प्रतिबंध का समावेश:** इस कानून ने धारा 9D को पेश किया, जो राज्यों को सीधे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा खनिज अधिकारों या खनिज युक्त भूमियों पर कोई भी कर, उपकर या अतिरिक्त शुल्क लगाने से रोकती है।
- **केंद्रीय नियंत्रण का विस्तार:** धारा 2 और 13 में संशोधन खनिज युक्त भूमियों पर केंद्रीय प्राधिकरण का विस्तार करते हैं, जिससे खनिजों पर राज्य के कर जनादेश को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र को एकमात्र नियम बनाने की शक्ति मिलती है।
- **राजकोषीय तनाव और राजस्व प्रभाव:** ओडिशा में विपक्षी दलों (बीजद, कांग्रेस) का आरोप है कि यह कानून राज्य के वित्तीय अधिकारों को छीनता है, जिससे पिछले बकाए में अनुमानित ₹1 लाख करोड़ और वार्षिक

राज्य राजस्व में ₹12,000 करोड़ का नुकसान होगा, जबकि केंद्र मनमाना शुल्क रोकने की आवश्यकता का हवाला देता है।

- **राज्य के खनन राजस्व में वृद्धि:** आधिकारिक तर्क इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि 2015 के बाद के प्रतिस्पर्धी नीलामी सुधारों के बाद, ओडिशा का खनन राजस्व ₹5,000 करोड़ से बढ़कर ₹50,000 करोड़ से अधिक हो गया, जिसे जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) निधियों द्वारा संवर्धित किया गया।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **ऑफ-बजट खनिज कर (Off-Budget Mineral Levies):** MMDR अधिनियम के तहत निर्धारित केंद्रीय रॉयल्टी ढांचे के बाहर खनिज अधिकारों या भूमि मूल्य पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर, उपकर या अधिभार।
- **जिला खनिज फाउंडेशन (DMF):** खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हितों और लाभ के लिए काम करने के लिए MMDR अधिनियम के तहत खनन प्रभावित जिलों में स्थापित एक वैधानिक गैर-लाभकारी ट्रस्ट।
- **खनिजों पर रॉयल्टी:** खनिजों के निष्कर्षण और वाणिज्यिक दोहन के लिए पट्टाधारक द्वारा संसाधन स्वामी (राज्य) को दिया जाने वाला एक वैधानिक शुल्क, जो केंद्रीय अनुसूचियों के तहत विनियमित होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **प्रविष्टि 23 बनाम प्रविष्टि 54 (सातवीं अनुसूची):** प्रविष्टि 23 (राज्य सूची) राज्यों को खानों और खनिज विकास के नियमन पर शक्ति देती है, जो प्रविष्टि 54 (संघ सूची) के अधीन है, जो संसद को जनहित में केंद्रीय नियंत्रण की घोषणा करने का अधिकार देती है।
- **प्रविष्टि 49 और 50 (राज्य सूची):** राज्यों को भूमि और भवनों पर कराधान शक्ति (प्रविष्टि 49) और संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन खनिज अधिकारों पर कर (प्रविष्टि 50) प्रदान करती है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957:** पूरे भारत में खदान आवंटन, खनिज रियायतों, DMF और नियमन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख केंद्रीय कानून।
- **जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट का फैसला:** ऐतिहासिक 8-1 का फैसला जिसमें पुष्टि की गई कि रॉयल्टी कर नहीं है और प्रविष्टि 49 के तहत खनिज युक्त भूमियों पर कर लगाने की राज्यों की संवैधानिक शक्ति की पुष्टि की गई।

निष्कर्ष

MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 ने खनिज युक्त भूमियों पर राज्य की कराधान शक्तियों को सीमित करके संघीय तनाव को तेज कर दिया है। सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के राजस्व स्वायत्तता के साथ एक समान राष्ट्रीय संसाधन मूल्य निर्धारण को संतुलित करना भारत में सहकारी राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, विधायी शक्तियों का वितरण (सातवीं अनुसूची), केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (खनिज संसाधन, राजस्व स्वायत्तता, राजकोषीय संघवाद, MMDR ढांचा)।

- मुख्य फोकस:** MMDR संशोधन अधिनियम 2026, धारा 9D प्रतिबंध, सातवीं अनुसूची प्रविष्टियां 23, 49, 50 और 54, खनिज कराधान पर जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

11. 'हिंदी थोपना संवैधानिक समझौते के मूल पर प्रहार करता है': NCW कॉन्क्लेव विवाद पर केरल के मुख्यमंत्री

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- NCW कार्यशाला में भाषाई विवाद:** फरीदाबाद के सूरजकुंड में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा आयोजित "महिला विधायकों के लिए लिंग संवेदनशील शासन" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला ने भाषा की विशिष्टता को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।
- केरल की महिला विधायकों द्वारा वॉकआउट:** केरल की आठ महिला विधायकों ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्योंकि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में कार्यवाही चलाने के उनके अनुरोधों को आयोजकों द्वारा कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था।
- थोपे जाने की आलोचना:** विपक्ष के नेता और केरल के राजनीतिक नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में हिंदी थोपना भारत के संवैधानिक समझौते के मूल पर प्रहार करता है और भाषाई समानता से समझौता करता है।
- नींव के रूप में विविधता पर जोर:** नेताओं ने रेखांकित किया कि देश के संस्थापक सिद्धांतों ने भाषाई एकरूपता के बजाय विविधता, पारस्परिक सम्मान और संघीय समायोजन के माध्यम से ताकत की कल्पना की थी।
- राष्ट्रीय निकायों की तटस्थता पर आपत्तियां:** केरल के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बहु-राज्यीय आयोजनों के दौरान राष्ट्रीय वैधानिक आयोगों के राजनीतिक रूप से तटस्थ और समावेशी चरित्र पर सवाल उठाए।
- विरोध के नारे लगाए गए:** विरोध कर रहे प्रतिनिधियों ने संघीय मंचों में गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लिए समान व्यवहार पर जोर देते हुए "संविधान को बनाए रखने" के नारे लगाते हुए आयोजन स्थल से बाहर निकल गए।

आवश्यक परिभाषाएँ

- संवैधानिक समझौता (Constitutional Compact):** संविधान में निहित मूलभूत सामाजिक-राजनीतिक समझौता जो सहकारी संघवाद के माध्यम से क्षेत्रीय विविधता, राज्य स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता को संतुलित करता है।
- राजभाषा ढांचा:** संघ, राज्यों और केंद्रीय संस्थानों के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषाओं के उपयोग को नियंत्रित करने वाला वैधानिक और संवैधानिक तंत्र।
- सहकारी संघवाद:** शासन का एक मॉडल जहां केंद्र और राज्य क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए समान भागीदारों के रूप में मिलकर काम करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1:** भारत को "राज्यों का संघ" के रूप में परिभाषित करता है, जो विविध क्षेत्रीय पहचानों से बनी एक संघीय संरचना स्थापित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 और 351:** अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करता है, साथ ही आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग भी शामिल है; जबकि अनुच्छेद 351 आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य भाषाओं के रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों में हस्तक्षेप किए बिना हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संघ को निर्देशित करता है।
- **राजभाषा अधिनियम, 1963:** धारा 3 संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए और संसद में कार्य के संचालन के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान करती है।
- **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990:** NCW को सभी भारतीय राज्यों में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा, नीतिगत वकालत और क्षमता विकास का कार्य सौंपे गए एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित करने वाला वैधानिक अधिनियम।

निष्कर्ष

NCW सम्मेलन के आसपास की बहस भारत के संघीय ढांचे के भीतर भाषा नीति की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय मंचों पर भाषाई समावेशिता और पारस्परिक समायोजन सुनिश्चित करना सहकारी संघवाद को बनाए रखने, क्षेत्रीय पहचान का सम्मान करने और विविध राज्यों में संवैधानिक समानता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, भाषाई विविधता, संवैधानिक समानता, वैधानिक निकायों की भूमिका (NCW)।
- **GS पेपर I:** भारतीय समाज (भाषाई विविधता, विविधता में एकता, क्षेत्रीय पहचान की गतिशीलता)।
- **मुख्य फोकस:** राजभाषाओं की संवैधानिक स्थिति, अनुच्छेद 343 और 351 के प्रावधान, संघीय संबंध, राजभाषा अधिनियम 1963।

12. नंदनकानन चिड़ियाघर बचाए गए छोटे ओरंगुटान को सांत्वना देने के लिए भारतीय

राग बजा रहा है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नंदनकानन चिड़ियाघर में संगीत चिकित्सा:** भुवनेश्वर के नंदनकानन प्राणि उद्यान ने बचाए गए पांच छोटे ओरंगुटान (Orangutans) को शांत करने के लिए पारंपरिक भारतीय रागों, सितार और तबले की धुनों से सुसज्जित एक विशेष प्लेलिस्ट शुरू की है।
- **तनाव के कारण डीएनए नमूना लेना स्थगित:** बचाए गए इन वानरों की सटीक मूल उत्पत्ति का पता लगाने के लिए आवश्यक डीएनए नमूना लेने की प्रक्रिया को कम से कम 10 दिनों के लिए टाल दिया गया है जब तक कि ये शिशु पृथक्वास (quarantine) में भावनात्मक रूप से स्थिर न हो जाएं।

- **बालासोर के जंगल से बचाव:** एक-एक वर्ष के पांच ओरंगुटान ओडिशा के बालासोर जिले में कैसुरीना के बागान में लावारिस पाए गए थे, जिनमें अपनी मां से अलग होने के कारण गंभीर मानसिक तनाव के लक्षण दिखाई दे रहे थे।
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की जांच:** वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) और राज्य अधिकारियों ने इन गैर-देशी विदेशी प्राइमेट्स (exotic primates) की अवैध तस्करी की जांच शुरू कर दी है।
- **संदिग्ध समुद्री तस्करी मार्ग:** वन अधिकारियों को संदेह है कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट ने समुद्री मार्गों का उपयोग करके वानरों का परिवहन किया, पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार या बांग्लादेश के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और फिर उन्हें उतारा।
- **पृथक्वास में व्यावहारिक अनुकूलन:** चिड़ियाघर की देखभाल करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट है कि ये शिशु वानर इंसानों की तरह भावनात्मक जुड़ाव प्रदर्शित करते हैं, अलगाव की चिंता को प्रबंधित करने के लिए मुलायम खिलौनों में और एक-दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क में आराम तलाशते हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **ओरंगुटान (वंश पोंगो):** विशेष रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया (बोर्नियो और सुमात्रा) के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का मूल निवासी एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय वानर, जिसे एशिया के एकमात्र मूल निवासी महान वानर (great ape) के रूप में पहचाना जाता है।
- **विदेशी प्रजातियों की तस्करी:** वैश्विक संरक्षण संधियों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय सीमाओं के पार गैर-देशी जंगली जानवरों को अनधिकृत रूप से वाणिज्यिक रूप से पकड़ना, उनका परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
- **CITES अनुसूची I:** लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत उच्चतम सुरक्षा श्रेणी, जो विलुप्त होने के खतरे में सूचीबद्ध प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को प्रतिबंधित करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2022 संशोधन):** अध्याय VB के तहत भारत में CITES प्रावधानों को लागू करता है, जो विदेशी वनस्पति और जीवों (CITES-सूचीबद्ध प्रजातियों) के व्यापार, कब्जे और प्रजनन को सख्ती से विनियमित करता है।
- **CITES (संकटग्रस्त वन्यप्राणी एवं वनस्पति की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन):** भारत द्वारा हस्ताक्षरित वैश्विक संधि, जिसके तहत महान वानरों जैसे लुप्तप्राय जंगली जानवरों के लिए सख्त आयात, निर्यात और पुनः-निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** संवैधानिक निर्देश जिसके तहत राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण संपत्तियों की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने का दायित्व देने वाला मौलिक कर्तव्य।

निष्कर्ष

ओडिशा में गैर-देशी शिशु ओरंगुटानों का बचाव समुद्री सीमाओं पर काम करने वाले अवैध विदेशी वन्यजीव तस्करी नेटवर्क के बढ़ते खतरे को रेखांकित करता है। संगीत चिकित्सा जैसी करुणामय पशुचिकित्सा देखभाल को WCCB की गहन जांच और CITES प्रवर्तन के साथ जोड़ना सीमा पार वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी (जैव विविधता संरक्षण, अवैध वन्यजीव व्यापार, CITES विनियम, चिड़ियाघर में पूर्व-स्थाने/Ex-situ संरक्षण)।
- **GS पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा (सीमा पार तस्करी नेटवर्क, तटीय सुरक्षा चुनौतियां, WCCB जनादेश)।
- **मुख्य फोकस:** CITES अनुसूची का कार्यान्वयन, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 2022 संशोधन, ओरंगुटान संरक्षण स्थिति, सीमा पार पर्यावरणीय अपराध।

